



राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

त्रैमासिक पत्रिका

A NEWS LETTER OF RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION

वर्ष-3

अंक : सात

वर्ष : 2007-2008 वि.सं. : 2064

बिक्री के लिये नहीं

“अधिकारों के प्रति जागरूक रहो—कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहो”

अध्यक्ष—जस्टिस एन.के. जैन

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के महत्वपूर्ण निर्णय
(माह अक्टूबर, 2007 से दिसम्बर, 2007 तक)

1—परिवाद संख्या— 07/17/2611 में परिवादी सेवाराम चौधरी के परिवाद में आयोग द्वारा पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर (दक्षिण) से रिपोर्ट तलब करने पर विपक्षीगण को धारा—107, 116 (3) के तहत पाबन्द करवाया जाकर आयोग को सूचित किया गया।

2—परिवाद संख्या— 07/17/2693 में आयोग के आदेश की पालना में अतिनिदेशक (प्रशासन) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग ने परिवादिया का पेंशन प्रकरण की स्वीकृति आदेश, ग्रेच्युटी स्वीकृति आदेश व बकाया उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान किया।

3—परिवाद संख्या— 07/17/1434 में परिवादी के मंदबुद्धि होने की स्थिति को देखते हुए राजकीय कल्याणकारी योजनाओं के तहत परिवादी का ईलाज करवाने व अन्य सुविधाएँ प्राप्त करने की स्वतंत्रता दी गई।

4—परिवाद संख्या— 06/17/3720 में राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार —‘बहके जवान और जुबान’ व दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार ‘कि कापे अपराधी’ में आयोग के निर्देशानुसार महानिरीक्षक, पुलिस जयपुर रेंज (प्रथम), जयपुर की जांच रिपोर्ट आयोग को भेजी गई। जिसमें पुलिस विभाग में नीति सुधार हेतु शराब पीने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही, रोस्टर के अनुसार ड्यूटी, जातिगत भेदभाव न करने जैसे सुझावों/टिप्पणी से आयोग को अवगत कराया गया।

5—परिवाद संख्या— 07/17/2545 में पुरातत्व महत्व के परकोटा आदि पर करवाये जा रहे अवैध निर्माण के सम्बन्ध में आयोग ने अध्यक्ष राज0 धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, श्री ओंकार सिंह लखावत को नियमानुसार कार्यवाही हेतु लिखा था। जिन्होंने इस अवैध निर्माण को रूकवाया।

6—परिवाद संख्या— 07/17/2447 में डेली न्यूज में प्रकाशित समाचार ‘बच्चे भूखे, हाकिम जीमने से नहीं चूके’ के मामले में आयोग ने आयुक्त, प्राथमिक शिक्षा, राज0 बीकानेर से अपेक्षा की कि फागी तहसील के गांव शंकरपुरा में बच्चों के भूखे रहने की घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो, इस बारे में संवेदनशीलता से काम करने की अपेक्षा की।

7—परिवाद संख्या— 07/17/3249 में श्री खिल्लीमल जैन, आयुक्त निःशक्तजन, राजस्थान ने निःशक्त व्यक्तियों को नियम 2000 के नियम-7 क (3) के अधीन छूट प्राप्त करने व नियोजन का अवसर प्रदान हेतु निर्देश प्रदान किए।

8—परिवाद संख्या— 06/17/3821 में एक वृद्ध पिता के बेटों को आपसी भाईचारे व सद्भावपूर्ण तरीके से रहते हुए अपने पिता की सेवा करने के निर्देश दिए गये। साथ ही पी. एच.ई.डी. व सेन्सस विभाग के उच्चाधिकारियों को भी अपने स्तर पर कार्यवाही करने की स्वतंत्रता दी गई।

9-परिवाद संख्या- 07/17/1076 में आयोग द्वारा वायु प्रदूषण व गंध की समस्या पर वस्तुस्थिति चाहने पर सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने जिला कलेक्टर व नगर निगम को कार्यवाही हेतु लिखकर आयोग को सूचित किया।

10-परिवाद संख्या- 07/17/2235 में आयोग द्वारा नर्सज हॉस्टल में छात्राओं की सुरक्षा व मानवाधिकारों के हनन के मामले में वस्तुस्थिति की जानकारी चाहने पर बताया कि स्टूडेंट नर्सज हॉस्टल हेतु सुनीता सावन, नर्स प्रथम को वार्डन का पूर्णकालिक कार्य देखने हेतु लगाया गया व एक अन्य नर्स-प्रथम को भी लगाये जाने के आदेश जारी कर दिए गये हैं।

11-परिवाद संख्या- 07/17/2071 में प्रदूषण नियंत्रण के मद्देनजर रा.रा.प.प.नि./ यातायात विभाग/परिवहन विभाग/प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में आपसी समन्वय स्थापित करने और प्रदूषण नियंत्रण की रोकथाम के सार्थक प्रयास करने की अपेक्षा की गई।

12-परिवाद संख्या- 07/17/889 में आयुक्त, प्राथमिक शिक्षा, बीकानेर से अपेक्षा की गई कि 'अध्यापक चाहे किसी भी जगह पर हो, बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं करें' के बारे में उचित कार्यवाही करें।

13- परिवाद संख्या-06/17/3296 में शवों के सहारे मांगे मनवाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के सम्बन्ध में अति० महानिदेशक, पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान, से प्राप्त सुझावों एवं टिप्पणियों को प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर आमजन के हित में व मानव अधिकारों की सुरक्षा की दृष्टि से कानूनसम्मत कार्यवाही करने हेतु लिखा गया।

14- परिवाद संख्या-06/02/488 में आयोग के निर्देशानुसार पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर द्वारा

परिवादी पेंशन, ग्रेच्युटी व कम्प्यूटेशन के समस्त कार्य का निपटारा कर आयोग को सूचित किया।

15- परिवाद संख्या- 06/17/2323 में आयोग के आदेश की पालना में अपहृत बच्चों सोना व रवि नरेश को बरामद कर उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया एवं मुलजिमान के विरुद्ध चार्जशीट पेश कर आयोग को सूचित किया गया।

16-परिवाद संख्या 07/26/1363 आयोग द्वारा जिला कलेक्टर, पाली से रिपोर्ट तलब करने पर परिवादी श्री किशनलाल की पत्नि की नसबन्दी आपरेशन असफल होने के कारण क्षतिपूर्ति राशि 40,000/- रुपये का भुगतान ओरियेंटल इन्श्योरेन्स कम्पनी के माध्यम से कर दिया गया है।

17-परिवाद संख्या 07/25/2804 आयोग द्वारा उपशासन सचिव एवं अधिशाषी अधिकारी स्टेट हज कमेटी से रिपोर्ट तलब करने पर परिवादी श्री गुलाम फरीद निवासी मकराना को ड्रा में चयन नहीं होने के कारण जमा कराई गई राशि 20,000/- का भुगतान कर दिया गया।

18-परिवाद संख्या 06/26/193 आयोग द्वारा आयुक्त कालेज शिक्षा से रिपोर्ट तलब करने पर परिवादी श्री एम. एल. आछा को निलम्बनकाल के वेतन भत्तो का भुगतान कर दिया गया।

19-परिवाद संख्या 07/22/3033 आयोग द्वारा मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग से रिपोर्ट तलब करने पर परिवादी श्री बीरमाराम जिला जोधपुर को उनकी बकाया वेतन राशि 1,77,033/- का भुगतान कर दिया गया।

20- परिवाद संख्या 06/28/2877 आयोग द्वारा गिरधर गोपाल के परिवाद पर पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर से रिपोर्ट तलब करने पर श्री अमीनुद्दीन के विरुद्ध अपराध धारा 376, 306, 120-बी, 201, 118, 196, 166 में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस एवं 'मानवाधिकार सप्ताह समारोह' के दौरान आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित कुछ जनजागरूकता कार्यक्रमों में भाग लिया।

- 1— दिनांक 8.12.2007 को प्रातः 8 बजे महावीर पब्लिक स्कूल की *Special Assembly* में माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्कूल के छात्र-छात्राओं के साथ प्राचार्या उर्मिल वर्मा, संस्था सचिव श्री आर.के. काला के साथ *various dimensions of Human Rights* पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में बच्चों ने चाइल्ड लेबर, गर्ल चाइल्ड प्राबल्म्स, भुखमरी, मजदूर एवं भिखारी आदि समस्याओं को रोचक नाटिका एवं स्लोगनों के द्वारा प्रस्तुत किया।
- 2— दिनांक 8.12.2007 को प्रातः 11 बजे अग्रवाल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में *समाजोपयोगी उत्पादक कार्यशाला* के समापन के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने कॉलेज की छात्राओं, के अलावा प्रिंसिपल डा. साधना गोदिका, 'रूआ' की पूर्व अध्यक्ष मैडम लाड कंवर, अग्रवाल पी.जी. कॉलेज के प्रिंसिपल श्री लडीवाला, उप सचिव श्री राजेन्द्र वर्मा के साथ चर्चा की।
- 3— दिनांक 8.12.2007 को 1.45 पी.एम. पर बियानी गर्ल्स कॉलेज, जयपुर में मानवाधिकार विषयक सेमिनार में माननीय अध्यक्ष महोदय ने राज0 उच्च न्यायालय के जस्टिस नरेन्द्र कुमार जैन व अकादमिक निदेशक संजय बियानी, प्राचार्या डा. मीना सोगानी के साथ चर्चा की।
- 4— दिनांक 10.12.2007 को मानवाधिकार दिवस पर **Save the Children, World Vision, 94.3 My F.M. India** दैनिक भास्कर व अन्य **N.G.O.s** द्वारा आयोजित रैली में अध्यक्ष महोदय ने स्टेट प्रोग्राम मैनेजर-बिस्वा रंजन पटनायक, रजनीश थपलियाल, अनिल जोसफ, लियोनी और गेबी, प्रिया परिवार, प्रो0 उपेन्द्र कौशिक व करीब 500 बच्चों के साथ भाग लिया।
- 5— दिनांक 10.12.2007 को वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में *मानवाधिकार विषयों पर छात्र-छात्राओं के अलावा स्ट्राइड* के निदेशक प्रो. एम.के. घाडोलिया व क्षेत्रीय केन्द्र निदेशक डॉ. सुषमा सिंघवी व अन्य प्रोफेसर्स आदि के साथ चर्चा की।
- 6— दिनांक 10.12.2007 को गीता बजाज बाल मंदिर संस्थान में *'मानवाधिकार दिवस'* पर महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती पवन सुराणा व श्री टी.के. डाण्डिया, कोमल पाटनी व नागर साहब के साथ चर्चा की। इस कार्यक्रम में कन्या भ्रूण हत्या, लिंग अनुपात में असंतुलन व दहेज प्रथा पर लघुनाटिकाएँ प्रस्तुत की गई।
- 7— दिनांक 10.12.2007 को श्री सतसाई बी.एड. कॉलेज में अध्यक्ष महोदय ने जस्टिस वी.एस. दवे, श्रीमती विभा पारीक, प्रिंसिपल डॉ. प्रतिभा, एन.एस.एस. अधिकारी व छात्राओं के साथ मानवाधिकार विषय के अलावा कन्या भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, महिला हिंसा पर चर्चा की।
- 8— दिनांक 10.12.2007 को विमुक्ति गर्ल्स स्कूल, तिलक नगर, जयपुर, जो कच्ची बस्ती के गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए कार्यरत है, के द्वारा आयोजित कार्यक्रम विमुक्ति संस्था की सचिव मैडम लवलीना, स्कूल की प्रिंसिपल मिस भारती शर्मा प्रिंसिपल, श्री सोगानी, हेल्प एज इण्डिया के श्री अनिन्दो रॉय, उपस्थित बच्चों व उनके परिजनों के साथ मानवाधिकार विषयों पर चर्चा की।
- 9— दिनांक 13 दिसम्बर को सैन्ट्रल एकेडेमी के वार्षिक खेलकूद उत्सव के दौरान एकेडेमी के छात्र-छात्राओं, शिक्षकगणों को सम्बोधित किया। इस अवसर पर एकेडेमी डायरेक्टर प्रिया मिश्रा, आशुतोष, प्रिन्सीपल शोभा पंडित और अध्यक्ष श्रीमती शशि मिश्रा भी उपस्थित थी।
- 10— दिनांक 14 दिसम्बर को ज्योतिबा फूले महाविद्यालय में मानवाधिकार विषयों पर महाविद्यालय के निदेशक श्री निर्मल पंवार, एन.एस.एस. अधिकारी मैडम सीमा धमेजा व डा0 अभिलाषा के साथ चर्चा की।

- 11— दिनांक 18 व 19 दिसम्बर को महिला आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आयोग की अध्यक्ष मैडम तारा भण्डारी एवं अन्य एन.जी.ओ. के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय ने मानवाधिकार विषयों पर चर्चा की।
- 12— दिनांक 28 दिसम्बर को थियोसोफिकल सोसायटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सर्वश्री धूत साहब, ताराचन्द्र बक्शी, रिषभ, सोसायटी सदस्यगण व अन्य लोगों से मानवाधिकार विषयों पर चर्चा की।
- 13— 28 दिसम्बर 2007 को जयपुर स्थित होटल होलीडे-इन मे खानमजदूरों की कार्यदशा समीक्षा के लिए आयोजित एक कार्यशाला में स्वामी अग्निवेश, डॉ. झंवर, डॉ. प्रकाश त्यागी, मैडम मृदुला सामवेदी, हेडकॉन के मोहीतोश, पदाधिकारीगण एवं अन्य उपस्थितजनों के साथ चर्चा की।
- 14— आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार 1 दिसम्बर 2007 को आयोग के माननीय सदस्य जस्टिस जगत सिंह ने मानवाधिकारों के प्रचार-प्रसार एवं समस्या समाधान हेतु कलेक्ट्रेट सभागार **करौली** में आयोजित वार्ता को सम्बोधित किया।
- 15— आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार 10 दिसम्बर 2007 को माननीय सदस्य जस्टिस जगत सिंह ने मानवाधिकारों के प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता हेतु कलेक्ट्रेट सभागार, **हनुमानगढ़** में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं नागरिकों को सम्बोधित किया।
- 16— आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार आयोग के माननीय सदस्य श्री पुखराज सीरवी द्वारा 'अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सप्ताह' के दौरान **सेन्दडा, अटपडा, बिलाडा** व दिनांक 10 दिसम्बर 2007 को **पाली** में आयोजित मानवाधिकार जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित जनसमुदायों को मानवाधिकारों के सम्बन्ध में सम्बोधित किया।

- 17— राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाये जाने हेतु सभी संभागीय आयुक्तों व जिला कलेक्टर तथा प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा आयुक्तों को निर्देशित किया गया। संभागों व जिला स्तर पर तथा विभिन्न स्कूलों व कॉलेजों में मानवाधिकार दिवस समारोहपूर्वक मनाया जाने की सूचना प्राप्त हुई।

Human Rights Legal Literacy & Awareness Series की 14वीं पुस्तक।

आयोग द्वारा मानवाधिकारों से सम्बन्धित विधिक साक्षरता व जागरूकता कार्यक्रम के तहत 14वीं पुस्तक "आयोग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप, दिशा-निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ" प्रकाशित की।

जनहित में प्रकाशित बुकलेट्स को निम्नांकित संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा पुनः प्रकाशित करवाये जाने की इजाजत दी।

- 1— श्रीमती अंगूरीदेवी, ज्योति व अशोक ने स्व. श्री हर प्रसाद, प्रधानाध्यापक बांदीकुई की स्मृति में।
- 2— डा. वीना (जाम्बिया) व डा. अरुण व अन्य
- 3— बियानी गर्ल्स कॉलेज विद्याधरनगर, जयपुर।
- 4— हेडकॉन के श्री महितोष बागोरिया।

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के सम्मुख दिनांक 31 सितम्बर, 2007 तक 987 प्रकरण विचाराधीन थे, चालू त्रैमास में 894 नये परिवाद प्राप्त हुए, कुल प्रकरण 1881 में से 563 नये परिवाद एवं 320 पुराने व पुनः सुनवाई के परिवादों का निस्तारण करने के बाद आयोग के सम्मुख **दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 को 998 लम्बित रहे।**

अध्यक्ष- न्यायमूर्ति श्री एन.के. जैन, **सदस्यगण-** जस्टिस जगत सिंह, श्री डी.एस. मीणा एवं श्री पुखराज सिरवी, **सचिव,** महानिरीक्षक पुलिस, राज्य मानव अधिकार आयोग, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, सचिवालय, जयपुर द्वारा प्रकाशित एवं राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।

सम्पादक : उप-सचिव, राजस्थान मानव अधिकार आयोग, जयपुर।

E-mail : rshrc@raj.nic.in **Website :** www.rshrc.nic.in **Fax :** 0141-2227738 **Tel. :** 2227565, 5104212.

Book
Post